

सूक्ष्म वित्तीय ऋणों के लिये आरबीआई का नयामक ढाँचा

प्रलम्बिस के लिये:

भारतीय रज़िर्व बैंक, लघु वित्त बैंक, गैर-सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, माइक्रोफाइनेंस संस्थान

मेन्स के लिये:

माइक्रोफाइनेंस ऋण और इसके लाभों के लिये आरबीआई का नयामक ढाँचा, माइक्रोफाइनेंस संस्थान और इसके कार्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय रज़िर्व बैंक](#) (RBI) ने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) को उन ब्याज दरों को नरिधारित करने की स्वतंत्रता दी, जो वे उधारकर्त्ताओं से वसूलते हैं, तथा यह चेतावनी भी दी है कि दरें अधिक नहीं होनी चाहिये।

- ये दशा-नरिदेश 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे।
- इससे पहले वर्ष 2021 में RBI ने MFI पर ब्याज दर कैप को उठाने का प्रस्ताव रखा था।

दशा-नरिदेशों की मुख्य वशिषताएँ:

- **माइक्रोफाइनेंस ऋण की परभाषा:**
 - 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिये गए संपारश्वकि-मुक्त ऋण को इंगति करने हेतु आरबीआई ने माइक्रोफाइनेंस ऋण की परभाषा को संशोधित किये।
 - इससे पहले ऊपरी सीमा ग्रामीण कर्जदारों के लिये 1.2 लाख रुपए और शहरी कर्जदारों के लिये 2 लाख रुपए थी।
- **वनियिमति संस्थाओं के लिये:**
 - संशोधित मानदंडों के अनुसार, वनियिमति संस्थाओं (आरई) को माइक्रोफाइनेंस ऋणों के मूल्य नरिधारण, ब्याज दर की उच्चतम सीमा और माइक्रोफाइनेंस ऋणों पर लागू होने वाले अन्य सभी शुल्कों के संबंध में एक बोर्ड-अनुमोदित नीतिबिनानी चाहिये।
 - प्रत्येक वनियिमति संस्था को एक मानकीकृत, सरलीकृत फ़ैक्टशीट में संभावित उधारकर्त्ता को मूल्य नरिधारण संबंधी जानकारी का खुलासा करना होगा।
- **माइक्रोफाइनेंस ऋण पर जुर्माना:**
 - माइक्रोफाइनेंस ऋणों पर कोई पूर्व भुगतान दंड नहीं होगा।
 - वलिंबति भुगतान के लिये जुर्माना, यदि कोई हो तो वह अतदिय राशपर लागू होगा न कि संपूर्ण ऋण राशपर।
 - ब्याज दर या कसी अन्य शुल्क में कोई भी परिवर्तन होने पर उधारकर्त्ता को अग्रमि रूप से सूचित किया जाएगा और ये परिवर्तन केवल संभावित रूप से प्रभावी होंगे।
- **ऋणों की वसूली:**
 - RE को पुनर्भुगतान से संबंधित कठनाइयों का सामना करने वाले उधारकर्त्ताओं की पहचान करने, ऐसे उधारकर्त्ताओं के साथ जुड़ाव और उन्हें उपलब्ध सहायता के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक तंत्र स्थापित करना होगा।
 - यह तंत्र उचित नोटिस और प्राधकिरण सुनश्चिति करने हेतु RE वसूली प्रक्रिया शुरू करते समय उधारकर्त्ता को वसूली एजेंटों (Recovery Agents) का वविरण प्रदान करेगा।

दशा-नरिदेशों की प्रयोज्यता:

- [भुगतान बैंकों](#) को छोड़कर सभी [वाणजियकि बैंक](#) (लघु वित्त बैंक, स्थानीय कषेत्र बैंक और कषेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)।
- सभी प्राथमकि (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक।
- सभी [गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियौं](#) (माइक्रोफाइनेंस संस्थान और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियौं सहित)।

वर्षों के प्रश्न:

भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिये ऋण के वितरण में नमिनलखिति में से कसिका हसिसा सबसे अधकि है? (2011)

- (a) वाणजियकि बैंक
- (b) सहकारी बैंक
- (c) कषेत्रीय ग्रामीण बैंक
- (d) माइक्रोफाइनेंस संस्थान

उत्तर: (a)

होने वाले लाभ:

- **बाज़ार का वसितार:** 3 लाख रुपए की आय कैप में संशोधन से बाज़ार के अवसर का वसितार होगा और इंटररेस्ट रेट कैप (Interest Rate Cap) को समाप्त करने से जोखमि आधारति बीमा को बढ़ावा मलैगा ।
- **स्वस्थ प्रतसिपरद्धा को बढ़ावा:** यह वभिनिन प्रकार के ऋणदाताओं हेतु नयामक ढाँचे के सामंजस्य द्वारा स्वस्थ प्रतसिपरद्धा को प्रोत्साहति करने और ग्राहकों को उनकी क्रेडिट ज़रूरतों के बारे में एक सूचति वकिल्प नरिमति करने हेतु दीर्घ अवधि में मदद करेगा ।
- **वत्तीय समावेशन:** नया ढाँचा उद्योग को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, बेहतर जोखमि शमन और वत्तीय समावेशन सुनश्चिति करेगा ।
- **एक समान स्तर का नरिमाण:** यह एक समान स्तर को नरिमति करेगा और उधारकर्त्ताओं और ऋणदाताओं दोनों के पास अब वकिल्प होंगे ।
- **ज़रूरतमंदों की मदद:** यह उधारकर्त्ताओं के हतियों की रक्षा करेगा और इस कषेत्र में ज़रूरतमंद उधारकर्त्ताओं की मदद करेगा ।

माइक्रोफाइनेंस संस्थान क्या है?

- माइक्रोफाइनेंस संस्थान एक ऐसा संगठन है, जो अल्प आय वाली आबादी को वत्तीय सेवाएँ प्रदान करता है ।
 - इन सेवाओं में सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म बचत और सूक्ष्म बीमा आदि शामिल हैं ।
- MFI वत्तीय कंपनयिों उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करती हैं, जनिकी बैंकिंग सुवधिओं तक पहुँच नहीं होती है ।
- ज़्यादातर मामलों में ब्याज दरें सामान्य बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली दरों से कम होती हैं । अतः कुछ लोगों ने इन माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं पर गरीब लोगों के पैसे में हेरफेर करके लाभ कमाने का आरोप लगाया है ।
- पछिले कुछ दशकों में माइक्रोफाइनेंस कषेत्र तेज़ी से बढ़ा है और वर्तमान में इनके पास भारत की गरीब आबादी के लगभग 102 मिलियन खाते (बैंकों और लघु वत्तित बैंकों सहति) हैं ।
- गरीब लोगों के लयि वभिनिन प्रकार के वत्तीय सेवा प्रदाता उभरे हैं, जसिमें [गैर-सरकारी संगठन](#) (NGO), [सहकारति](#), [स्व-सहायता समूह](#), क्रेडिट यूनयिन, सामुदायकि-आधारति वकिस संस्थान, वाणजियकि और राज्य बैंक, बीमा तथा क्रेडिट कार्ड कंपनयिों, डाकघर आदि शामिल हैं ।
- भारत में गैर-बैंकिंग वत्तीय कंपनयिों और MFIs का नयिमन रज़िर्व बैंक के गैर-बैंकिंग वत्तीय कंपनी -माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (रज़िर्व बैंक) नरिदेश, 2011 द्वारा कयिा जाता है ।

वर्षों के प्रश्न

माइक्रोफाइनेंस के तहत नमिन आय वर्ग के लोगों के लयि वत्तीय सेवाओं का प्रावधान है । इसमें उपभोक्ता एवं स्वरोज़गार दोनों शामिल हैं । माइक्रोफाइनेंस के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ हैं:

1. क्रेडिट की सुवधि
2. बचत की सुवधि
3. बीमा सुवधि
4. फंड ट्रांसफर की सुवधि

नीचे दयि गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

स्रोत: द हट्टि

